पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 228/2012

हरभजनसिंह बनाम तीर्थसिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.06.2017

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी धारा 151 पेश कर निवेदन किया कि अपील विरूद्ध इन्तकाल ग्राम पंचायत कोनी अन्तर्गत धारा भू राजस्व अधिनियम में विचाराधीन थी जिसका निर्णय दिनांक 30.08.2012 को किया गया है प्रार्थी वकील दिनांक 30.08.2012 को जानबुझकर गैर हाजिर नहीं रहा था जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को यह आश्वासन दिया हुआ था कि बार बार तारिख पेशी पर आपको आनें की जरूरत नहीं है तथा प्रार्थी का वकील अन्य न्यायालय में व्यस्त होनें के कारण नियत पेशी में अदालत वाला के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण उक्त अपील का निर्णय प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है। इन्तकाल अपील के साथ वाद पत्र में वसीयत करा बिन्दू भी जैरकार है अतः आदेश दिनांक 30.08.2012 को निरस्त कर बहस रेस्पोडेन्ट सुनी जावे।

प्रार्थन पत्र दर्ज रजिसटर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की और से श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नहीं किये जानें पर जबाब बन्द किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2012 से ग्राम पंचायत कोनी तहसील श्रीगंगानगर..के इन्तकाल संख्या 170 निरस्त किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को यह प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है, कि आ अपीलान्ट के हक में पंजीकृत वसीयत को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षकारान की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे।

प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी को उक्त अपील का निर्णय प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है। प्रार्थी अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखनें हेतु स्वत्रन्त्र था इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

तहसीलदार के समक्ष रिमाण्ड प्रकरण में प्रार्थी अपना पक्ष रख कर नियमानुसार निर्णय पारित करवानें में स्वतन्त्र होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 16.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मनफुलसिंह वाला के मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर